प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात
दिनांक- 14.04.2026

- **महिला सम्बन्धी अपराधों पर अंकुश लगाने में कानपुर देहात पुलिस की एक और कार्यवाही।**
- **थाना रसूलाबाद पुलिस टीम द्वारा नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म की घटना कारित वाले वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण एवं महिला सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 26.02.2026 को वादी द्वारा अपनी नाबालिग पुत्री की गुमशुदगी के सम्बन्ध में दी गयी तहरीर के आधार पर थाना रसूलाबाद पर मु0अ0सं0 086/2026 धारा 137(2) बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। थाना रसूलाबाद पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में कार्यवाही करते हुए, पीड़िता की बरामदगी कर, पीड़िता के धारा 180/183 बीएनएसएस के अन्तर्गत बयान माननीय न्यायालय के समक्ष अंकित कराते हुए, बयान अवलोकन व अन्य साक्ष्य संकलन से मुकदमा उपरोक्त में धारा 64(1) बी0एन0एस0 व 5J(ii)/5L/6 पॉक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी। मुकदमा उपरोक्त में विवेचना के क्रम में प्रकाश में आये अभियुक्त सोनू पुत्र लालसिंह निवासी ग्राम नदीहा, नदीहाखुर्द थाना ककवन जनपद कानपुर नगर को दिनांक 13.04.2026 शहबाजपुर नहर पुल चौराहा, थानाक्षेत्र रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का विवरण–

सोनू पुत्र लालसिंह निवासी ग्राम नदीहा, नदीहाखुर्द थाना ककवन जनपद कानपुर नगर, उम्र करीब 20 वर्ष।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 086/2026 धारा 137(2)/64(1) बी0एन0एस0 व 5J(ii)/5L/6 पॉक्सो एक्ट थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात।

गिरफ्तार करने वाली थाना रसूलाबाद पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री बृजेश कुमार, चौकी प्रभारी तिश्ती थाना रसूलाबाद,
2. का0 966 पवन कुमार,
3. का0 288 सूर्यसेन,